

प्रेषक,

डा0आर0राजेश कुमार,

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण,

सहत्रधारा हैलीपैड, देहरादून।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

देहरादून: दिनांक 16 ^{अक्टूबर} सितम्बर 2017

विषय: जनपद पिथौरागढ़ स्थित नैनीसैनी हवाई पट्टी के भूमिगत मार्ग के निर्माण हेतु प्रभावित काश्तकारों की भूमि का प्रतिकर के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूकाडा का पत्र दिनांक 28.08.2017 के क्रम में शासनादेश संख्या शासनादेश संख्या-37 (II)/(1)/2016/22/IX/2009 टी0सी0 दिनांक 04.03.2016 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ स्थित नैनीसैनी हवाई पट्टी के भूमिगत 70 मी0 लम्बा तथा 10 मी0 चौड़ा मार्ग निर्माण कि लिए रू0 134.73 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें रू0 100.00 लाख (रूपया एक करोड़ मात्र) की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में रिलीज की गयी है। राजस्व उपनिरीक्षक नैनीसैनी की आख्या दिनांक 01.07.2015, के अनुसार प्रस्तावित भूमि की वर्तमान प्रचलित सरकारी दर रू0 3.30.000/-प्रति नाली है, जिसके अनुसार 26 काश्तकारों की 0.0700 हेक्टेयर भूमि की कीमत रू0 11.55.000/-आंकी गयी है, इस संबंध 26 काश्तकारों द्वारा अधिग्रहित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि भूमिगत मार्ग का निर्माण तथा हवाई पट्टी की चारदीवारी के निर्माण कार्य का ग्रामीणों /भू स्वामियों द्वारा विरोध करते हुए भूमि का भुगतान न होने तक भूमि पर कार्य आरम्भ न कर दिया जाय का पक्ष रखा है। काश्तकारों का भुगतान न होने के कारण उक्त कार्य रूक गया है। भविष्य में सुरक्षा के दृष्टिगत एवं भारत सरकार द्वारा रिजनल कनेक्टिविटी "उड़े देश का आम नागरिक" योजना के अन्तर्गत प्रदेश की सभी हवाई पट्टियों में हवाई सेवायें शीघ्र आरम्भ किये जाने का उल्लेख करते हवाई पट्टी का कार्य सुचारू कराये जाने हेतु 26 काश्तकारों को 00.700 हेक्टेयर(700 मी0) भूमि की प्रतिकर की धनराशि रू0 11.55000/- (रूपया ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- उपरोक्त के संबंध में हवाई पट्टी के भूमिगत मार्ग से प्रभावित काश्तकारों की 00.700 हे0 (700मी0) भूमि की प्रतिकर धनराशि रू0 11.55.000/- (रूपया ग्यारह लाख पचपन हजार मात्र) का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-24-लेखशीर्ष-5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमान पत्तन-800-अन्य व्यय-03-हवाई पट्टी के निर्माण/विस्तार हेतु अधिग्रहीत भूमि-24 वृहत् निर्माण कार्य हेतु वर्तमान में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) का प्राविधान है, से वर्ष 2017-18 के लिए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं:-

1- इस संबंध में व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका और स्टोर पर्जेज रूल्स, डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा टेण्डर/ कोटेशन विषयक नियम मितव्यता के नियमों का समय-समय पर निर्गत आदेशोंका अनुपालन किया जाय।

2- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक विवरण वी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी के बजट मैनुअल के माध्यम से प्रस्तर 116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा एवं प्रस्तर 128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

- 3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक किस्तों के आधार पर वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2018 तक अवश्य कर लिया जाय उक्त तिथि को अवशेष धनराशि का नियमानुसार शासन को समर्पण किया जायेगा।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 312/3(150)/XXVII/(1) 2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय 02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय, 03- हवाई पट्टी के निर्माण /विस्तार हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर का भुगतान, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)/XXVII (1)/2017, दिनांक: 30.06.2017, के क्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(डा०आर०राजेश कुमार)
अपर सचिव।

संख्या 394 (1)/2017/22/IX/2009 टी०सी० तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षक) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी-1/105 इन्दिरानगर देहरादून।
- 3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, देहरादून।
- 5- जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, /साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-1/2, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गिरीश चन्द्र जोशी)
उप सचिव।